न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी नरेश सोनी आर ए एस

मुकदमा नंबर – 62 / 2021

सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास — बनाम — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश — दिनांक :– 09.04.2021

सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि वर्ष 2004 में कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी करवाते समय ग्राम बाणियावास पटवार क्षेत्र बाणियावास का खसरा नं 30 व 62 की जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में प्रविष्टि कोष्ठक में चरागाह हेतु गलती से दर्ज हो गया जबकि इससे पूर्व की जमाबन्दी में भूमि को चरागाह दर्ज करने की कोई सक्षम टिप्पणी/ आदेश/ निर्णय/- नामान्तरकरण का अंकन नहीं है। उक्त भूमि भूल से राजस्व रेकर्ड दर्ज होने से श्मशान एवं आबादी विस्तार हेतु कई तरह की परेशानीया आ रही है इसलिए राजस्व रेकर्ड में शुद्धिकरण जरिये मूलयश जमाबन्दी में प्रविष्टी के आगे कोष्ठक में चारागाह हेतु शामिल कर दिया है जो त्रुटीपूर्ण इन्द्राज है। इस त्रुटिपूर्ण की गई प्रविष्टी को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई के मुताबिक मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि कम्प्यूटराईज जमाबंदी करवाते समय ग्राम बाणियावास पटवार क्षेत्र बाणियावास का खसरा नं 30 व 62 की जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में प्रविष्टि कोष्ठक में चरागाह हेतु गलती से दर्ज हो गया जबकि इससे पूर्व की जमाबन्दीयों में भूमि को चरागाह दर्ज नहीं है। मौके पर उपरोक्त खसरों में पहाड़ी भूमि व भाकर है।

सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास एवं तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई दौरान बहस अवगत करवाया गया है कि वर्ष 2004 में कम्प्यूटराईज जमाबंदी करवाते समय ग्राम बाणियावास पटवार [illegible] का खसरा नं 30 व 62 की जमाबन्दी के कॉलम [illegible] गलती से दर्ज हो गया। उक्त भूमि [illegible] से श्मशान एवं [illegible] विस्तार करवाने हेतु कई तरह की परेशानीया [illegible] है इसलिए राजस्व [illegible] शुद्धिकरण जरिये मूलयश जमाबन्दी में प्रविष्टी के आगे कोष्ठक में चारागाह हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:28:15 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रविष्टि अंकित कर दिया है जो त्रुटीपूर्ण इन्द्राज है। इस त्रुटिपूर्ण की गई प्रविष्टी को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

तहसीलदार, पचपदरा ने भी बताया कि कम्प्यूटराइज्ड जमाबंदी बनाते समय जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में चारागाह भूमि सहवन से दर्ज हुआ है मौके पर पहाडी व भाकर है। पिछली जमाबंदीया में चारागह शब्द दर्ज नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जरिये दुरूस्ती सुधार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनताा से अवलोकन व अध्ययन किया। बाद अवलोकन सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, पचपदरा के पत्र कमांक /भू.अ/2021/939 दिनांक 25.3.2021 के द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम **बाणियावास पटवार क्षेत्र बाणियावास** का **खसरा न** 30 व 62 की किस्म गैर. मु. पर्वत पूर्व में दर्ज थी परन्तु ग्राम बाणियावास सम्वत 2060–2063 की जमाबंदी (कम्प्यूटराइज्ड) तैयार करते समय लिपिकीय भूल से खसरा संख्या 30 व 60 में उपशीर्षक 'पहाडी' तथा पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज हो गया जो वर्तमान में भी दर्ज है। पिछली जमाबंदियां में चारागाह हेतु कभी भी दर्ज नही रहा है। मौके पर उपरोक्त खसरों में पहाडी भूमि व भाकर है, जो केवल मात्र लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है ।

अतः सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि **बाणियावास पटवार** क्षेत्र **बाणियावास** का **खसरा न** 30 व 62 से सबंधित जमाबंदी के कॉलम संख्या चार में कम्प्यूटराईज जमाबंदी तैयार करने से पूर्व की जमाबंदीयों में दर्ज प्रविष्टीयों के अनुसार इन्द्राजात यथावत दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति अनुसार ही अमलदारामद किया जावे।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश खुले न्यायालय मे दिनांक 09.04.2[illegible] [illegible]या गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:28:15 IST
Reason: SelfAttested

भू-अभिलेख अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner